an>

Title: Regarding making remittances by Non-Resident Indians to their relatives in India tax-free.

श्री भगवंत मान (संगरूर): पूरी दुनिया में भारतीय अलग-अलग देशों में रहते हैं। वे सख्त मेहनत करके 20-20 घंटे कार्य करने के बाद कमाई करते हैं और बहुतों के परिवार एवं रिश्तेदार जो हमारे देश में रहते हैं, उनको भी विदेशी कमाई में से पैसे भेजने पड़ते हैं। जब कोई भी एन.आर.आई. भारतीय विदेश में पैसे कमाता है तो उसको उस देश के कानून के अनुसार उस देश में टैक्स देना होता है। वे अपनी खून-पसीने की कमाई से कुछ हिस्सा अपने परिवारजनों को भारत भेजते हैं ताकि वे भी सुखद जीवन जी सकें। लेकिन सरकार ने उनके पैसे भेजने पर भी 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगा दिया है। अर्थात अगर कोई भारतीय विदेश से अपने परिवारजनों को 1 लाख रूपये भेजेगा तो उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा और परिवार वालों को एक लाख की जगह सिर्फ 87.50 हजार रूपये मिलेंगे। इससे ब्लैक मनी एवं अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारत में मनी भेजने पर वे मजबूर होंगे ताकि इस टैक्स को बचाया जा सके। पंजाब में बहुत पैसा विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों की कमाई से आता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त टैक्स को हटाया जाए ताकि विदेशों में काम करने वाले भारतीय भारत में रहने वाले अपने परिवारजनों व रिश्तेदारों को आर्थिक मदद करते समय किसी प्रकार के टैक्स के डर से अपने पैसे भारत भेजने से न डरें।